

भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 128*
(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल

128*. श्रीमती कुसुम राय :

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित ऐसे परिवारों का राज्य-वार प्रतिशत कितना-कितना है, जिन्हें निरापद और पीने योग्य पानी की सुविधा सुलभ नहीं है;
- (ख) ऐसे परिवारों का राज्य-वार प्रतिशत कितना-कितना है जो इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुमेय सीमाओं से अधिक भारी धातुएं-युक्त पेय-जल का उपयोग कर रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार देश के अधिकांश भागों में निरापद और पीने योग्य पानी की कमी के मद्देनजर, ग्रामीण जनता को निरापद और पीने योग्य पानी सुलभ कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाएगी;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री भरत सिंह सोलंकी)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 128 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 15.80 प्रतिशत परिवारों को असुरक्षित स्रोतों अर्थात् खुले कुओं एवं झरनों, नदियों और तालाबों जैसे अन्य असुरक्षित माध्यमों से पीने का पानी मिल रहा है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति से संबंधित जानकारी बसावटों के रूप में रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पेयजल में रासायनिक संदूषकों की अनुमेय सीमा को विनिर्दिष्ट नहीं करता, बल्कि इसका दिशा-निर्देश परिमाण तय करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मंत्रालय की ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई जानकारी के अनुसार, ऐसी बसावटों जिनके कम-से-कम एक पेयजल स्रोत में डब्ल्यूएचओ के 2004 के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय दिशा-निर्देश परिमाण से अधिक मात्रा में भारी धातुएं (आर्सेनिक के अलावा) विद्यमान होने की जानकारी दी गई है, की संख्या और प्रतिशत तथा इन बसावटों की आबादी अनुबंध-II में दी गई है। ग्रामीण पेयजल स्रोतों में अत्यधिक आर्सेनिक संदूषण-युक्त बसावटों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो की आईएस-10500-2003 की अनुमेय सीमा के अनुसार है।

(ग) और (घ) सरकार ने एक नीति बनाई है जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और अन्य बुनियादी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत आधार पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इस बुनियादी जरूरत में न्यूनतम जल गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जाना चाहिए और यह जरूरत सभी समय तथा सभी स्थितियों में आसानी से पूरी होनी चाहिए। यद्यपि जल आपूर्ति राज्य का विषय है फिर भी भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों में राज्यों की मदद करती है। वर्ष 2012-13 में एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 10,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2011 की जनगणना के अनुसार जल गुणवत्ता की समस्याओं से प्रभावित परिवार

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण परिवारों की संख्या	पेयजल के स्रोत के रूप में खुले कुओं का इस्तेमाल करने वाले ग्रामीण परिवारों का %	अन्य असुरक्षित स्रोत	कुल %
1	आंध्र प्रदेश	14246309	7.80	3.10	10.90
2	अरुणाचल प्रदेश	195723	4.80	19.80	24.60
3	असम	5374553	4.80	12.60	17.40
4	बिहार	16926958	3.80	1.60	5.40
5	छत्तीसगढ़	4384112	0.00	2.70	2.70
6	गोवा	124674	11.10	5.70	16.80
7	गुजरात	6765403	8.40	3.00	11.40
8	हरियाणा	2966053	3.60	3.50	7.10
9	हिमाचल प्रदेश	131058	1.50	3.70	5.20
10	जम्मू व कश्मीर	1497920	6.10	21.60	27.70
11	झारखंड	4685965	40.30	3.70	44.00
12	कर्नाटक	7864196	10.90	3.80	14.70
13	केरल	4095674	50.50	6.90	57.40
14	मध्य प्रदेश	11122365	24.00	1.90	25.90
15	महाराष्ट्र	13016652	21.10	2.50	23.60
16	मणिपुर	335752	5.40	54.00	59.40
17	मेघालय	422197	22.30	34.50	56.80
18	मिजोरम	104874	3.40	51.50	54.90
19	नागालैंड	284911	19.50	20.80	40.30
20	ओडिशा	8144012	18.10	5.80	23.90
21	पंजाब	3315632	0.30	2.70	3.00
22	राजस्थान	9490363	12.40	13.40	25.80
23	सिक्किम	92370	0.20	16.80	17.00
24	तमिलनाडु	9563899	4.90	2.00	6.90
25	त्रिपुरा	607779	31.90	6.50	38.40
26	उत्तर प्रदेश	25475071	4.20	0.80	5.00
27	उत्तराखंड	1404845	0.60	9.00	9.60
28	पश्चिम बंगाल	13717186	6.20	1.80	8.00
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	59030	10.00	10.80	20.80
30	चंडीगढ़	6785	0.00	1.30	1.30
31	दादर व नगर हवेली	35408	11.40	2.10	13.50
32	दमन व द्वीव	12750	0.50	0.50	1.00
33	दिल्ली	79115	0.10	11.70	11.80
34	लक्षद्वीप	2523	50.70	17.60	68.30
35	पुदुचेरी	95133	0.00	0.30	0.30
	कुल	167826730	11.80	4.00	15.80

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-II

29. 11.2012 को ऐसी बसावटों की संख्या जिनके कम-से-कम एक पेयजल स्रोत में भारी धातु विद्यमान होने की जानकारी दी गई है तथा इन बसावटों की आबादी

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	कुल ग्रामीण बसावट		शैक्नीज		तांबा		एल्युमिनियम		पारा		यूरेनियम		शीशा	
		बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी
1	आंध्र प्रदेश	72387	61277079	5	5467	1	774	0	0	0	0	0	0	0	0
2	बिहार	107642	90415338	1	1067	3	1805	12	23028	0	0	0	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	72231	18350304	6	4096	2	3444	2	7760	0	0	0	0	0	0
4	गोवा	347	754931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	34415	36071891	10	18691	2	3663	1	946	0	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	7385	17503346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	53201	6228454	0	0	0	0	2	2314	0	0	0	0	0	0
8	जम्मू व कश्मीर	13938	10089910	1	300	0	0	2	900	0	0	0	0	1	300
9	झारखंड	119191	22965457	10	3212	13	5112	3	1703	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	59575	38351278	0	0	5	6643	2	7814	0	0	0	0	0	0
11	केरल	11883	25471476	3	5878	7	14761	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	127197	52727433	19	17065	9	6662	25	25030	0	0	0	0	0	0
13	महाराष्ट्र	100683	65076411	6	7810	1	649	8	7873	0	0	0	0	0	0
14	उड़ीसा	141928	34753683	9	4168	0	0	1	494	0	0	0	0	0	0
15	पंजाब	15170	18056763	9	16911	0	0	59	125044	2	3214	656	1229530	91	119409
16	राजस्थान	121133	51995417	2	2464	0	0	9	6461	0	0	0	0	0	0
17	तमिलनाडु	94614	34971435	6	2270	0	0	3	1897	0	0	0	0	0	0
18	उत्तर प्रदेश	260110	157042060	4	2738	3	4276	5	26249	0	0	0	0	0	0
19	उत्तराखंड	39142	7061390	5	487	0	0	1	368	0	0	0	0	0	0
20	प. बंगाल	95395	75088307	3	3921	6	15411	1	3196	0	0	0	0	0	0
21	अरुणाचल प्रदेश	5612	975640	0	0	0	0	1	28	0	0	0	0	0	0
22	असम	86976	26411324	1	171	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मणिपुर	2870	2478842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मेघालय	9326	2321775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	777	522543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	नागालैंड	1460	1758184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	सिक्किम	2498	540848	12	2308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	त्रिपुरा	8132	2812940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	अ. व. नि. क्षीप समूह	491	241964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	18	81397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादर व नगर हवेली	70	168664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन व दीप	21	78219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	रा.स. क्षेत्र दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	9	50947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	248	358415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	1665218	862074459	112	99024	53	63227	137	241105	2	3214	656	1229530	92	119709

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-II जारी

29.11.2012 को ऐसी बसावटों की संख्या जिनके कम-से-कम एक पेयजल स्रोत में भारी धातुएं विद्यमान होने की जानकारी दी गई है तथा इन बसावटों की आबादी

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिक		केंद्रियम		क्रोमियम		सिलोनियम		आर्सेनिक		कुल प्रभावित		प्रभावितों का %	
		बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6241	0.01	0.01
2	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	858	61702	874	642920	0.81	0.71
3	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15300	0.01	0.08
4	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	23300	0.04	0.06
6	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2314	0.00	0.04
8	जम्मू व कश्मीर	1	2334	1	300	1	3990	0	0	0	0	7	8124	0.05	0.08
9	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	1	233	27	10260	0.02	0.04
10	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	15	19142	22	33599	0.04	0.09
11	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20639	0.08	0.08
12	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	48757	0.04	0.09
13	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16332	0.01	0.03
14	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4662	0.01	0.01
15	पंजाब	0	0	60	87569	1	1286	60	95715	0	0	938	167867	6.18	9.30
16	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9108	16	18033	0.01	0.03
17	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4167	0.01	0.01
18	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1437	13	34700	0.00	0.02
19	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	855	0.02	0.01
20	प. बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	1795	28596	1805	288215	1.89	3.84
21	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	0.02	0.00
22	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	1030	32014	1032	320343	1.19	1.21
23	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
24	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
25	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
27	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2308	0.48	0.43
28	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
29	अ. व नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
31	वाटर व नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
32	उमन व दीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
33	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
35	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	कुल	1	2334	61	87869	2	5276	60	95715	3705	382670	4881	577371	0.29	0.67